

तारीख हुक्म

अपील संख्या 86/24
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
दुर्गमाराज ५/१ सरकार

29/08/25

अधिवक्ता उमयपट्ट उप-प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए अपील आदेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाकी अपीलें द्वारा प्रस्तुत बाद PIF सम्मन पेश नहीं किये जाने के कारण आदेश 3 नियम 5 के तहत खारिज किया गया है। अनूतन ऐसे आदेशों के विरुद्ध माननीय राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति उक्त अपील न्यायालय हाज्रा के समक्ष पौषणीय नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। लिहाजा पत्रावली न्यायालय हाज्रा के समक्ष पौषणीय नहीं होने के कारण खारिज की गयी है। पत्रावली कुसल शुमार लेकर बाद आवश्यक कार्यवाही दायरे में दफ्तर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली